# न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :– 129/2023 (धारा 75 भू राजस्व अधि० 1950) (RCMS No.2023/149)

सूरजमल यादव पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी बयाना मु0नं0 5/2008 सूरजमल बनाम सरकार दिनांक 25.5.2018 (136 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अपीलान्ट।

## निर्णय

दिनांकः– 31.01.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी चौथ का बरवाडा के निर्णय दिनांक 25.5.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया था कि अपीलान्ट सूरजमल द्वारा ग्राम ईसरदा स्थित साविक खसरा नम्बर 501, 502, 502/2, व 508 जरिये पंजीकृत विकय पत्र खरीद कर वे उन पर काबिज हो गये। सम्वत 2034 से 2037 की जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 1765 का नोट अंकित है। दौराने सैटलमेन्ट उक्त साविक खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर बना कर अपीलान्ट के कब्जे की बजाय कही ओर अंकित/प्रदर्शित कर दिये गये। अपीलान्ट काफी समय से ग्राम ईसरदा के खसरा नम्बर 1137 व 1138 पर काबिज है इस आधार पर वो उनके नाम चालू/वर्तमान रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है, एवं उसके स्वयं की खातेदारी में अंकित खसरा नम्बर (नवीन) 1139, 1139/5264, 1140, 1140/5262, 1143, 1189/5479, 1201, 1202, 1260, 1135, 1137/5263, 1144 कुल किता–12 कुल रकबा 3.65 हैक्टेयर में से खसरा नम्बर 1139, 1139/5264, 1140, 1140/5262, 1143, 1189/5479, 1201, 1202, 1260 को सिवायचक अंकित करवाये जाने का निवेदन किया गया और तदनुसार दुरूती किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को निराधार मानते हुये यह विवेचना की गई कि ग्राम ईसरदा स्थित अपीलान्ट की खातेदारी से संबधित राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी नवीन एवं र्तमान राजस्व नक्शे में किसी प्रकार की त्रुटी गत रिकार्ड से मिलान करने पर नहीं पाये जाने के कारण अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना

पत्र 136 एल आर एक्ट अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2012 से खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। नियत दिनांक को वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.05.2018 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त आदेश जल्दबाजी में जारी किया गया है। जिसकी पुष्टि दिनांक 18.04.2018 एवं 25.05.2018 की आर्डरशीट से हो रही है। दिनांक 18.04.2018 को वकील अपीलान्ट को आवंटन आदेश मय नक्शा पेश करने की हिदायत दी गई तथा दिनांक 25.05.2018 को कैम्प ईसरदा में एवं रेग्यूलर कोर्ट की तारीख दिनांक 05.07.2018 दी गई थी, परन्तु दिनांक 25.05.2018 को आधी अधूरी आर्डरशीट लिखा कर पत्रावली खारिज की गई है। तहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलान्ट ने आरजीयात खसरा नम्बर 502/2 रकबा 4 बीघा खसरा नम्बर 501 रकबा 3 विस्बा, गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 502 रकबा 1 बीघा 6 विस्बा , खसरा नम्बर 508 रकबा 9 बीघा वाकै ग्राम ईसरदा बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदार बदडसिंह पुत्र अर्जुनसिंह राजपूत निवासी ईसरदा से खरीद की थी तथा खरीदने के बाद से ही अपीलान्ट विवादित आराजी पर काबिज होकर खेती कर रहा है। अदालत तहत ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया है कि भूप्रबन्ध विभाग ने सैटलमेन्ट के समय अपीलान्ट के खातेदारी एवं स्वामित्व के खसरा नम्बरान को गलत प्रकार से सिवायचक घोषित कर दिया था। जिसे संशोधित कर पुनः अपीलान्ट की खातेदारी में अंकित किया जाना आवश्यक होने के कारण अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलान्ट द्वारा खातेदार बडदसिंह से भूमि खरीदने के बाद से ही अपीलान्ट काबिज होकर खेती कर रहा है तथा नवीन भूप्रबन्ध के अनुसार खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.04 है0 किस्म भूमि गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 1137/5263 रकबा 13 हैक्टेयर किस्म भूमि तालाब, ख0नं0 1139 रकबा 1.35 है0 किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 1139/5264 रकबा 0.13 है0 किस्म भूमि तालाबी 1, खसरा नम्बर 1140 रकबा 0.13 है0 किस्म भूमि गै0मु0 पाल, खसरा नमबर 1143 रकबा 0.55 है0 किस्म भूमि बारानी1, ख0नं0 1144 रकबा 0.38 है0 किस्म भूमि बंजड खसरा नम्बर 1189/5479 रकबा 0.10 है0 किस्म वारानी 2, ख0नं0 1201 रकबा 0.02 है किस्म भूमि तालाबी 1, खसरा नमबर 1260 रकबा 0.16 है0 किस्म भूमि तालाब 1 किता 12 रकबा 0.65 है0 अपीलान्ट ने सम्वत 2073 से 2076 अपीलान्ट के नाम है। सम्वत 2039 से 2042 में खाता संख्या 204 पर खसरा नम्बर 501 रकबा 3 विस्बा किस्म गै0मु0 चाह खसरा नम्बर 502 रकबा 1 बीघा 6 विस्बा किस्म भूमि बारानी 3, खसरा नम्बर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

502/2 रकबा 4 बीघा किस्म बंजड खसरा नम्बर 508 रकबा 9 बीघा किस्म बारानी 3 किता–4 कुल रकबा 14 बीघा 9 विस्वा है तथा पुराने खसरा नम्बर 501 रकबा 3 विस्वा से नया खसरा नम्बर रकबा 0.04, खसरा नम्बर 502 (पुराना) 5 बीघा 6 विस्वा से नये खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.55, खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.38, खसरा नम्बर 1140/5262 रकबा 0.15 है0, खसरा नमबर 1137/5263 रकबा 0.13, खसरा नम्बर 1139/526 रकबा 0.13 किता 5 रकबा 1.34 है0 तथा खसरा नम्बर 1139 रकबा 1.35 है0, खसरा नम्बर 1140 रकबा 0.13, खसरा नम्बर 1189/5479 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1201 रकबा 0.02 खसरा नम्बर 1202 रकबा 0.51 खसरा नम्बर 1260 रकबा 0.16 है0 तथा रिकार्ड व मौके की असल एवं वास्तविक स्थिति के अनुसार अपीलान्ट खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.04 है0 गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 1137/5263 रकबा 0.13, खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.38 है0 तथा खसरा नमबर 1137 रकबा 2.70 है0, खसरा नम्बर 1138 रकबा 0.40 है0 किता 5 रकबा 3.65 है0 दर्ज है। जिस पर लगातार अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है, जो कि सिवायचक दर्ज है। अदालत तहत ने पटवारी हल्का ईसरदा द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश की गई मौके की अंसल एवं वास्तविक स्थिति के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट पर अविश्वास कर अहम भूल की है, क्योंकि मूल खातेदार ने बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विवादित भूमि की जांच कर उसी समय उक्त भूमि पर अपीलान्ट को कब्जा संभलवाया था। जहां तब से लेकर आज तक अपीलान्ट काबिज है। अदालत तहत ने इस तथ्य को समझने में अहम भूल की है कि अपीलान्ट सदैव से उक्त वर्णित सिवायचक जमीन पर काबिज है तथा उसके मौके पर स्थित कब्जे के अनुसार ही नक्शा ट्रेस एवं राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया जाना आवश्यक व न्यायोचित था। तहत अदालत ने इस तथ्य को नजर अंदाज किया है कि नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड की मौके की असल एवं वास्तविक स्थिति के अनुसार नहीं है। अपीलान्ट की खातेदारी में गलत प्रकार से अंकित खसरा नम्बर 1140, 1140/5262, 1143, 1144, 1189/5479, 1201, 1202, 1260 पर अपीलान्ट का कब्जा कभी नहीं रहा ना ही वर्तमान समय में ही है। अपीलान्ट का कब्जा खसरा नमबर 1137 रकबा 2.94 एवं खसरा नम्बर 1138 रकबा 0.40 है0 ग्राम ईसरदा पर सदैव से रहा है। तहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट द्वारा कूआ खुदवाया गया था। इससे पुराने खसरा नम्बर 501, 502, 508 की सिंचाई की जाती रही है एवं उक्त कूऐ का नामान्तरकरण भी पूर्व खातेदार के नाम खोला गया है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया है। अपीलान्ट की ओर से उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाडा के न्यायालय में लम्बित पत्रावली में पैरवी करने हेतु अपना वकील नियुक्त कर रखा था। वकील की ओर से यह आश्वासन दिया हुआ था कि कोई बात होगी तो वे सूचित कर देंगे, लेकिन वकील द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई। दिनांक 09.11.2019 को अपीलान्ट चौथ का बरवाडा एसडीएम कार्यालय जाने पर अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि अपीलान्ट

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

का प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट 25.5.2018 को खारिज कर दिया है। इस पर अपीलान्ट ने दिनांक 13.11.2019 को अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त की तो अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर इशपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.05.2018 को निरस्त करते हुये अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष कि खसरा नंबर 1137 रकबा 2.94 है0 व खसरा नंबर 1138 रकबा 0.40 है0 वाकै ग्राम ईसरदा को अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज करने व अपीलान्ट की खातेदारी में गलत प्रकार से दर्ज खसरा नंबर 1140, 1140/5262, 1143, 1144, 1189/5479, 1201, 1202 व 1260 को अपीलान्ट की खातेदारी से हटाकर राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किया जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.05.2018 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 21.11.2019 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया गया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.11.2019 को चौथ का बरवाड़ा एसडीएम के कार्यालय में आने पर होने पर नकल हेतु आवेदन करने व दिनांक 13.11.2019 को नकल प्राप्त होने से अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज नहीं करना चाहिए। इस आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

के आधार पर अपील को अन्दर मियाद माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा के न्यायालय में एल.आर.एक्ट की धारा 136 के प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा से भी रिपोर्ट प्राप्त की गई है। जिसमें तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की ओर से उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 08.03.2010 में यह उल्लेख किया है कि अपीलान्ट की साविक खसरा नंबर 501, 502, 502/2, 508 किता 4 रकबा 14 बीघा 9 विस्वा की खातेदारी दर्ज है। नवीन सैटलमेंट से प्राप्त रिकार्ड व मौके की जॉच के अनुसार नवीन खसरा नंबर 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1137/5263, 1143, 1144 पर काबिज है। मुताबिक रिकार्ड प्रार्थी अपीलान्ट खसरा नंबर 1135, 1139, 1140, 1143, 1144, 1201, 1202, 1260, 1140/5262, 1137/5263, 1139/5264, 1189/5479 किता 12 रकबा 3.65 है0 की खातेदारी दर्ज है। मुताबिक मौका खसरा नंबर 1139 रकबा 1.35 है0 गणेश पुत्र भीवां मीना, 1143/0.13 हरिराम पुत्र जगराम मीना, 1202/0.02 बजरंगा पुत्र भीवां मीना, 1189/5479 रकबा 0.10 कालू, सरजराम, श्योराम, बालू पिता कल्याण काबिज है। अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब तहसीलदार की ओर से दिनांक 20.12.2017 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से चाहे गये अनुतोष के संबंध में मौके के अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया। अर्थात् अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से चाहा गया अनुतोष दिये जाने के संबंध में कोई अभिशंषा नहीं की गई। दिनांक 25.05.2018 को पटवारी हल्का की ओर से तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को ईसरदा कैम्प में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साविक खसरा नंबर 560 है, जो एक बड़ा नंबर है, के नवीन नंबर 1137 रकबा 2.94 है0 1138 रकबा 0.40 है0 बने हैं। मुताबिक रिकार्ड सिवायचक गैर मुमकिन तालाब है एवं प्रार्थी की खातेदारी का रकबा 3.65 है0 है। जिसके साविक खसरा नंबर 501, 502, 508, 502/2 हैं। कब्जे के आधार पर दावा उचित नहीं है। खसरा नंबर 1137 व 1138 अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण से संबंधित होने के आधार पर दावा खारिज किये जाने योग्य होने की रिपोर्ट की गई। जिसे तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा को अग्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा द्वारा न्याय आपके द्वार अभियान 2018 में उक्त प्रकरण दिनांक 25.05.2018 के कैम्प में रखे जाने का आदेश दिनांक 18.04.2018 को दिया गया। इस आदेशिका में यह भी उल्लेख किया गया कि रेगुलर कोर्ट की तारीख 04.07.2018 होगी। दिनांक 25.05.2018 को ईसरदा कैम्प में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस निर्णय में उल्लेख किया है कि प्रार्थी द्वारा कोई

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

भी वांछित साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 1137 व 1138 पर काफी समय से काबिज होने के आधार पर वर्तमान रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाना चाहते हैं तथा स्वयं की खातेदारी में स्थित भूमि को सिवायचक दर्ज कराना चाहते हैं। अपीलाधीन निर्णय में तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए यह अंकित किया है कि खसरा नंबर 1137 व 1138 सिवायचक भूमि है, जो कि साविक खसरा नंबर 560 से बनी है। जबकि प्रार्थी की खातेदारी में स्थित साविक खसरा नंबर 501, 502, 502/2 व 508 से बने नये नंबर प्रार्थी की खातेदारी में है। साविक खसरा नंबर 560 प्रार्थी की खातेदारी में कभी नहीं रहा। वर्तमान खसरा नंबर 1137 व 1138 की किस्म गैर मुमकिन तालाब सिवायचक है। अपीलाधीन निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साविक नक्शा शीट में प्रदर्शित खातेदारी के खसरा संख्या साविक एवं सैटलमेंट बाद तैयार नक्शा शीट में प्रदर्शित प्रार्थी की खातेदारी के खसरा संख्या लगभग एक स्थान पर हैं। अर्थात् साविक व वर्तमान शीट का अवलोकन करने पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि को त्रुटिवश अन्यत्र प्रदर्शित करना सिद्ध नहीं होता है। मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि होना नहीं मानकर अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाड़ा ने प्रकरण में अपीलान्ट/प्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने, भूमिधारी तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व जवाब दावे में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वैसे भी विवादित भूमि जिसकी खातेदारी अपीलान्ट द्वारा चाही जा रही है की किस्म गैर मुमकिन तालाब होने के कारण उक्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आने के कारण खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.05.2018 में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं पाये जाने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.05.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल बर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर